



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2014/पौष 25, 1935

No. 106]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2014/PAUSHA 25, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2014

का.आ. 110(अ).—दिनांक 29 मई, 2013 के शहरी विकास मंत्रालय के असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1455(अ) के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि पत्र तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया जाता है :

“एमपीडी-2021 के अनुसार भूमि उपयोग” शीर्षक के अंतर्गत तालिका के कॉलम 4 में “आवासीय (डिस्ट्रिक्ट पार्क)” शब्द “मनोरंजनात्मक (डिस्ट्रिक्ट पार्क)” के रूप में पढ़ा जाए। दिनांक 29-5-2013 के का.आ. 1455(अ) के तहत अधिसूचित मुख्य अधिसूचना।

[फा. सं. के-13011/1/2013-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th January, 2014

S.O. 110(E).—The following corrigenda is notified with immediate effect in respect of Ministry of Urban Development Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 1455 (E), dated 29th May, 2013:

The word “Residential (District Park)” in column 4 of the Table, under heading “Land use as per MPD-2021” shall read as “Recreational (District Park)”. The principal Notification was notified *vide* S.O. 1455(E), dated 29-5-2013.

[F. No. K-13011/1/2013-DD-1]

SUNIL KUMAR, Under Secy.